राजस्थान सरकार

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज पडगूजर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	रजू दिनांक	अन्तिम निर्णय
265 / 19	14.10.2019	09.04.2024

उनवान:

1. सुशीला पत्नी मुकेश कुमार जाति अहीर निवासी नाघोड़ी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

..........वादनी

बनाम

1. इमरती पत्नी रणजीतसिंह जाति अहीर
2. किरोडी पुत्र उमराव जाति अहीर
3. प्रियंका पुत्री शेरसिंह जाति अहीर
4. बर्फी पत्नी रतनलाल जाति अहीर
5. महावीर पुत्र उमराव जाति अहीर
6. राजकुमार पुत्र शेरसिंह जाति अहीर
7. हंसराज पुत्र उमराव जाति अहीर निवासी ग्राम नाघोड़ी तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
8. उपपंजीयक महोदंय नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड
9. लैण्ड होल्डर ज़रिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.....प्रतिवादीगण

दावा तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0ए0

।। **निर्णय** ।।

वादी द्वारा पेश वाद पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 662 रकबा 0.70 है0, वाके ग्राम नाघोड़ी तह0 नीमराना मे स्थित है। जिसमे मिन वादीया का 3/14 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 2/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 3 का 1/48 हिस्सा, प्रतिवादीसं0 4 का 1/8 हिस्सा वप्रतिवादी सं0 5 का 1/12 हिस्सा व प्रतवादी सं0 6 का 5/48 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 7 का 1/12 हिस्सा है। जिस पर वादीया एवं प्रतिवादीण अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहें है। आराजी मतनाजा का मौके पर तो वादीया व प्रतिवादगण ने बंटवारा किया हुआ है तथा मौके पर बाहमी बंटवारा के मुताबिक काबिज है। लेकिन राजस्व रिकार्ड मे बंटवारा नही हुआ है, इसलिए आराजी मुतनाजा सहखातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। जिससे हर खातेदार को आराजी मुतनाजा पर काश्त करने एवं अपने हिंस्से की आराजी के बेचान करने मे कानूनी अडचन आती है। इसलिए आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा के मुताबिक तकासामा किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए मिन वादीया द्वारा यह दावा पेश किया जा रहा है कि आराजी मुतनाजा के मौके पर कब्जा के अनुसार मौका की रिपोर्ट तहसीलदार नीमराना से मंगवाई जाकर, आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासमा किया जाकर अलग–अलग खाताबन्दी किया जाने की प्रार्थना की गई।

वादीया के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किये गये । प्रतिवादी सं0 3,4,5 व 8 बावजूद तामिल न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी सं0 1 बाद तामिल न्यायालय मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादीया के वाद पत्र के सभी तथ्यो को गलत बताते हुऐ जवाव पेश किया गया कि आराजी मुतनाजा का मौके पर बाहमी बंटवारा किया हुआ है । बाहमी वंटवारा के मुताविक काश्त करने मे कोई किसी प्रकार की परेशानी किसी भी खातेदार को नही है लेकिन वादीया द्वारा यह दावा गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है आराजी मुतनाजा के मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक आराजी मुतनाजा का तकासामा किया जाना न्यायोचित है...आदि

उभय पक्षो के अधिवक्तागण की प्रारम्भिक डिक्री पर बहस सुनी जाकर, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं दस्तावेजात के आधार पर न्याय हित मे वादीया के वाद पत्र को दिनांक 31.08.2022 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि के मौके पर

कब्जा काश्त के मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय मे पेश करने का आदेश तहसीलदार नीमराना को दिये गये ।

प्राम्भिक डिक्री दिनांक 31.08.2022 के आधार पर तहसीलदार नीमरांना द्वारा कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा तैयार कर दिनांक 21.03.2024 को कुर्रे रिपोर्ट न्यायालय मे पेश की गई कि:– खसरा नम्बर हाल 662 रकबा 0.70 है0 किस्म बारानी 1, वाके ग्राम नाघोड़ी के मुताबिक हाल जमाबन्दी खाता सं0 138 किरोडी, महावीर हंसराज पुत्रान उमराव हि0 3/12 प्रियंका 1/48 पुत्री शेरसिंह राजकुमार पुत्र शेरसिंह 5/48 बर्फी पत्नी रतनलाल हि. 1/8 इमरती पत्नी रणजीतसिंह हि0 2/7 सुशीला पत्नी मुकेश कुमार हि0 3/14 कौम समस्त अहीर निवासी नाघोडी दर्ज खातेदार दर्ज रिकांर्ड है। मौका की जांच की जिसमे उक्त खसरा नम्बर पर निम्नानुसार काबिज है:–

1. किरोडी महावीर हंसराज पुत्रान उमराव हि0 1/2 प्रियंका पुत्री शेरसिंह हि0 1/24 राजकुमार पुत्र शेरसिंह हि0 5/24 बर्फी पत्नी रतनलाल हि0 1/4 कौम समस्त अहीर निवासी नाघोडी खसरा नम्बर 662/1 रकबा 0.35 है0 किस्म बारानी1
2. इमरती पत्नी रणजीतसिंह जाति अहीर निवासी नाघोडी खातेदार खसरा नम्बर 662/2 रकबा 0.20 है0 किस्म बारानी1
3. सुशीला पत्नी मुकेश कुमार कौम अहीर सा. नाघोडी खातेदार खसरा नं. 662/3 रकबा 0.15 है0 किस्म बारानी1

हमने तहसीलदार द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जो रिपोर्ट तहसीलदार नीमराना ने मौके पर कब्जा व खातेदारी के मुताबिक बनाई गई तथा कुर्रे रिर्पोट मे किसी भी खातेदार के हिस्से की भूमि कम या अधिक नही है। ना ही किसी सहखातेदार द्वारा कुर्रे रिपोर्ट पर कोई किसी प्रकार की आपत्ति पेश की गंई है। इसलिए तहसीलदार, नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट मौका व रिकार्ड के मुताबिक सही होना प्रतीत होती है। इसलिए वादनी का वाद कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीया तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 21.03.2024 के मुताबिक आराजी मुतनाजा के तकसीम की डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि :–

1. किरोडी महावीर हंसराज पुत्रान उमराव हि0 1/2 प्रियंका पुत्री शेरसिंह हि0 1/24 राजकुमार पुत्र शेरसिंह हि0 5/24 बर्फी पत्नी रतनलाल हि0 1/4 कौम समस्त अहीर निवासी नाघोडी खसरा नम्बर 662/1 रकबा 0.35 है0 किस्म बारानी1
2. इमरती पत्नी रणजीतसिंह जाति अहीर निवासी नाघोडी खातेदार खसरा नम्बर 662/2 रकबा 0.20 है0 किस्म बारानी1
3. सुशीला पत्नी मुकेश कुमार कौम अहीर सा. नाघोडी खातेदार खसरा नं. 662/3 रकबा 0.15 है0 किस्म बारानी1

उपरौक्तानुसार तकसीम की डिक्री जारी कर,इसी अनुसार खातेदार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार अलग अलग खाताबन्दी कर हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने व हाल राजस्व नक्शा मे कुर्रे रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा के मुताबिक तितम्बे काटने के आदेश दिया जाता है। कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा इस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल्ले न्यायालय मे सुनाया गया ।

09.04.2024

पंकज कुमार गूजर
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज पडगूजर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 265/19 | रजू दिनांक 14.10.2019 | अन्तिम निर्णय 09.04.2024

उनवान:

1. सुशीला पत्नी मुकेश कुमार जाति अहीर निवासी नाघोड़ी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

..........वादनी

बनाम

1. इमरती पत्नी रणजीतसिंह जाति अहीर
2. किरोडी पुत्र उमराव जाति अहीर
3. प्रियंका पुत्री शेरसिंह जाति अहीर
4. बर्फी पत्नी रतनलाल जाति अहीर
5. महावीर पुत्र उमराव जाति अहीर
6. राजकुमार पुत्र शेरसिंह जाति अहीर
7. हंसराज पुत्र उमराव जाति अहीर निवासी ग्राम नाघोड़ी तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
8. उपपंजीयक महोदय नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.....प्रतिवादीगण

दावा तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0ए0

आदेश

अतः वाद वादीया तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 21.03.2024 के मुताबिक आराजी मुतनाजा के तकसीम की डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि :–

1. किरोडी महावीर हंसराज पुत्रान उमराव हि0 1/2 प्रियंका पुत्री शेरसिंह हि0 1/24 राजकुमार पुत्र शेरसिंह हि0 5/24 बर्फी पत्नी रतनलाल हि0 1/4 कौम अहीर निवासी नाघोड़ी खसरा नम्बर 662/1 रकबा 0.35 है0 किस्म बारानी1
2. इमरती पत्नी रणजीतसिंह जाति अहीर निवासी नाघोडी खातेदार खसरा नम्बर 662/2 रकबा 0.20 है0 किस्म बारानी1
3. सुशीला पत्नी मुकेशकुमार कौम अहीर सा. नाघोडी खातेदार खसरा नं. 662/3 रकबा 0.15 है0 किस्म बारानी1

उपरौक्तानुसार तकसीम की डिक्री जारी कर,इसी अनुसार खातेदार घोषित किये जाते है।इसी अनुसार अलग अलग खाताबन्दी कर हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयांत खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने व हाल राजस्व नक्शा मे कुर्रे रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा के मुताबिक तितम्बे काटने के आदेश दिया जाता है। कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा इस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.04.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई ।

09.04.2024

पंकज पडगूजर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)